[श्रीमती कहकशां परवीन]

करना बाहती हूँ कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड या धार्मिक न्यास बोर्ड जैसी संस्थाओं पर से जीएसटी हटाया जाए।

ال محترمہ کہکشاں پروین (بہار): سبھاپتی مہودے، دھارمک نیاس بورڈ اور وقف بورڈ کا جو گٹھن کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو وقف کی جائیداد ہے، اس سے بورہی آمدنی کو ضرورت مندوں اور غریبوں کے بیچ خرچ کرنا۔ سرکار اس کو چلانے کے لیے انودان بھی دیتی ہیں۔ اسٹیٹ وقف بورڈ، جس کی آمدنی پانچ بزار روپے سے زیادہ ہے، اس میں یہ ہے کہ سات فیصد راجیہ وقف بورڈ کو دیتی ہے، اس کا ایک فیصد سیس کے روپ میں دیتی ہے اور اسٹیٹ اس کا ایک فیصد سینٹرل کاؤنسل کو بھیجتی ہے۔

مہودے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی بہار راجیہ سنی وقف ہورڈ کو جی ایس ٹی کے روپ میں اکتائیس لاکھ، اکتائیس بزار، آٹھ سو ستاسی روپے دینے کے لیے ندیشائیہ سے نوٹس گیا ہوا ہے۔ سنی وقف بورڈ اور دھارمک نیاس بورڈ کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ حاصل ہے۔ مانیئے منتری مہودیہ بیٹھی ہیں، میں آپ کے مادھیم سے ان سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ سنی وقف بورڈ، شیعہ وقف بورڈ یا دھار مک نیاس بورڈ جیسی سنمتھاؤں پر سے جی ایس ٹی ہٹایا جائے۔

(ختم شد)

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I associate myself with the matter raised by Shrimati Kahkashan Perween.

SHRI A. MOHAMMEDJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shrimati Kahkashan Perween.

Damage to crops due to hailstorm in Western Rajasthan

श्री राम नारायण डूडी (राजस्थान): समापित महोदय, मैं आपके माध्यम से मारत सरकार को बताना चाहता हूँ कि 13, 14 और 15 तारीख को पिश्वमी राजस्थान में मयंकर बरसात और ओतावृष्टि से हजारों-लाखों काश्तकारों की खरीफ फसलें और खेतों में पड़ी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई और इससे हमारे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालीनू, इन समी जितों में कम से कम हजार करोड़ से लेकर 1500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। मैं मारत सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि अमी तक वहाँ न कोई गिरदावरी हो रही है, न कोई आकलन हो रहा है और बीमा वालों का गाँवों को क्लेम का मुगतान करने के लिए जो ऑनलाइन सिस्टम है, जब वे उसका उपयोग करते है, तो उन्हें इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता है। इन कारणों से कई काश्तकार इससे वंचित रह गए है। मैं मारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि काश्तकारों को आपदा कोष से अविलंब फायदा पहुंचाएं और राहत दें।

[†]Transliteration in Urdu script.

सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारी मुँग की खरीद के लिए भी कहा जा रहा है कि इसका रंग बदरंग हो गया है, लेकिन सर, रंग बदरंग होने से मूँग की गुणवत्ता कही नहीं गई है, गुणवत्ता वही है। मगर वे कहते हैं कि इसका रंग हरे से काला हो गया है, लेकिन हरे रंग का काला हो जाने से गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वहाँ जो अधिकारी लोग हैं, वे काश्तकारों से मूँग भी नहीं लेते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि वे इसके लिए कुछ डायरेक्शंस दें, जिससे काश्तकारों से मूँग ली जा सके। केवल रंग बदरंग होने की वजह से खरीदा नहीं जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहुँगा कि वे इन दो-तीन बातों पर ध्यान दें। सर, फसल खराब होने के आंकड़े हैं, तो उसका आकलन करवा कर उन्हें आपदा कोष से मुआवजा दिलाया जाए और साथ ही प्रति हैक्टेयर मुआवजा भी बढ़ाया जाना चाहिए। यह बहुत पुराना मुआवजा हो चुका है। आज दो एकड़ जमीन का मुआवजा देते हैं, फसल का आकलन करके मुआवजा दिया जाता है, जब कि वह सारी की सारी फसल खत्म हो जाती है। दूसरी बात, आप बीमा कंपनियों को डायरेक्शन दें। जब आधार कार्ड के आधार पर जाँच की जाती है, तब कई बार उनके फिगर्स वगैरह नहीं आते हैं। इससे बहुत दिक्कत होती है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। सर, बरसात से मूँगफली की फसल का कलर खराब हो गया है, जिसके लिए मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, तो इस प्रकार से जिन काश्तकारों के साथ यह हुआ है, उन्हें आप समय पर मुआवजा दें।

श्री नारायण लाल पंचारिया (राजस्थान): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ। श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ। डा. किरोड़ी लाल मीणा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ। SHRI NEERAJ SHEKHAR (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Ram Narain Dudi.

Need to implement the Supreme Court ruling to pay minimum wages to hosptial staff

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Mr. Chairman, Sir, through you, I would like to draw the attention of the House and the Governments at the Centre and in the States towards the very pathetic situation of nurses in the country. Sir, we talk a lot about the nurses. We say that they are the inheritors of Florence Nightingale. We term them as the angels of the health sector. All the respect is there. But, how do they lead their lives? They live in very miserable conditions. Their salaries, in private hospitals, today are around ₹6,000 to ₹7,000, whereas the Government claims to provide them a minimum wage of around ₹65,000. The Supreme Court came to their rescue. The Supreme Court of India gave a direction that a minimum salary should be given to them as per the State Government salary level. This direction came on 29th January, 2016. But, the five star hospitals of the private industry, they hesitate and deny the justice to be given to the